न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक / वि.अ. / 86 / 18 / भीलवाड़ा

विभागीय अपील द्वारा श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा दिनांक 02–11–2007 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा।

निर्णय

दिनांकः– 25–4–2018

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के आदेश दिनांक 02–11–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 16–10–2006 को एक ज्ञापन मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या–एक

यह है कि आप श्री मदनलाल बलाई पटवारी दिनांक 23–7–2005 से 5–7–2006 तक की अवधि में जब पटवारी संतोकपुरा के पद पर कार्यरत थे, इनके द्वारा बिना किसी आदेश के ग्राम गुढा की आराजी खसरा नम्बर 573 एवं 578 का सीमाज्ञान कर पत्थरों के निशानात लगवा दिये जिससे खातेदारों के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कारण बताओं नोटिस से पत्थर हटाने तथा पूर्वानुसार स्थिति कायम करने के निर्देश देने के उपरान्त भी पत्थर नहीं हटवाएं गये। जो उच्चाधिकारियों के आदेशों की स्पष्टतया उल्लंघना है। जिसके लिए आप दोषी है।

आरोप संख्या–दो

यह है कि उपर्युक्त कालावधि के दौरान तथा उपर्युक्त पटवार मण्डल पर कार्य करते समय उक्त श्री मदनलाल बलाई पटवारी संतोकपुरा ने पटवार मण्डल संतोकपुरा का विभिन्न अधिकारियों के द्वारा किये निरीक्षणों की पालना आज तक प्रस्तुत नहीं की। जो आपके राजकीय कार्य के प्रति उदासीनता एवं घोर लापरवाही, उच्चाधिकारियों के द्वारा निरीक्षण के समय दिये गये आदेशों की उल्लंघना की है। जिसके लिए आप दोषी है।

अपीलान्ट को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 07–02–2007 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर लगाये गये आरोपों पर असहमति जताई। उक्त प्रकरण में श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट क्रमांक 1784 दिनांक 13–7–2007 को आधार मानकर दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने तहसीलदार, माण्डल की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपचारी कर्मचारी को पूर्ण रूप से दोषी मानते हुए आदेश दिनांक 02–11–2007 द्वारा एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड पारित कर अपीलान्ट को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (With out Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित कर दिया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई। अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया इनका कथन है कि जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 02–11–2007 सीसीए नियमों के नियम 17 के तहत निहित विधिक प्रक्रिया की अक्षरशः पालना किये बिना दण्डादेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अपीलांट ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान यह भी कथन किया कि श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने आदेश से अपीलार्थी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जाकर दण्डित किया गया है जो न्याय नियम एवं विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। श्रीमान् जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध निष्पक्ष जांच नहीं करवाई गई है केवल तहसीलदार माण्डल की रिपोर्ट को आधार मानकर दण्डित किया गया और अपीलार्थी द्वारा सीसीए 17 के नोटिस का प्रतिउत्तर दिया गया जिस पर भी तहसीलदार मण्डल से टिप्पणी ली गई जो न्याय नियम एवं विधिविरूद्ध है, क्योंकि

जिसने रिपोर्ट की है उसी सेही रिपोर्ट ली गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से विवादित आदेश निरस्त योग्य है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा बहस के दौरान यह भी तर्क दिया कि मैनें दिनांक 10–09–2007 को अनुशासनिक अधिकारी महोदय को व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान सभी तथ्य बताकर स्पष्ट कर दिया था इसके पश्चात भी अपीलार्थी द्वारा बताये तथ्यों को निर्णय में सम्मिलित नहीं किया है। द्वितीय आरोप में अपीलार्थी पर निरीक्षणों की पालना नहीं करने का आरोप प्रमाणित माना है जो सरासर गलत है क्योंकि अपीलार्थी के कार्यकाल में कितने निरीक्षण किन–किन अधिकारियों द्वारा किये गये और कितने निरीक्षणों की पालना करना अपीलार्थी के जिम्मे था यह कहीं अंकित नहीं है। जब स्पष्ट नहीं है तो किस आधार पर दण्ड दिया गया है। यह स्पष्ट नहीं होने से श्रीमान् जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 02–11–2007 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी कथन है कि तहसीलदार माण्डल के पत्र दिनांक 21–8–2006 से अपर जिला मजिस्ट्रेट (सक्षम अधिकारी) भीलवाड़ा के पत्र क्रमांक न्यायालय/फोरलेन/06/4322–26 दिनांक 14–8–06 की पालना में राष्ट्रीय राजमार्ग 79 के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि पर अतिक्रमण से भूमि को बचाने हेतु भूमि का राजस्व रेकार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नाम प्रविष्टि करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश की पालना में मेरे द्वारा ग्राम गुढ़ा की जो भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग 79 में गई उस भूमि की नाप करने गया था क्योंकि एन. एच–79 में जो भूमि अवाप्त हुई है उसको नाप कर नक्शें में इन्द्राज करने के आदेश दिये जाकर 7 योम में पालना चाही गई थी। मैंने शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण सिंह, गणपत सिंह पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी गुढ़ा की आराजी खसरा नम्बर 573 व 578 का कोई सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं करवाई है। शिकायतकर्ता को उक्त आराजी एन.एच.–79 के पास स्थित होने से भ्रम हुआ है क्योंकि मैनें एन.एच. –79 में अवाप्त भूमि को नापकर नक्शे में इन्द्राज करने हेतु मौके पर नाप की थी। शिकायतकर्ता की आराजी खसरा नम्बर 573 व 578 का कोई सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई है। मेरे द्वारा केवल जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा एवं तहसीलदार माण्डल के आदेशों की पालना में मौके पर जाकर नापकर एन.एच.–79 का राजस्व नक्शें में इन्द्राज करने हेतु गया था।

उन्होंने आरोप संख्या 2 के प्रतिउत्तर में अवगत कराया कि मेरी नवीन नियुक्ति होने से मात्र तीन वर्ष की राजकीय सेवा थी। उक्त निरीक्षणों की पालना नहीं होने का कारण अकाल राहत कार्यों के निरीक्षण एवं उनके भुगतान का कार्य अत्यधिक होने से नहीं हुआ है। उक्त दोनों निरीक्षणों में ऐसा कोई विशेष बिन्दु नहीं था जिसकी पालना नहीं होने से राज्य को कोई हानि हुई हो। अतः जिला

कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 02–11–2007 विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा टिप्पणी प्रेषित कर उल्लखित किया गया कि अपीलार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय न्याय नियम एवं विधि अनुसार किया गया है। अपीलार्थी को तहसील कार्यालय के पत्र क्रमांक 21–8–2016 से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के अन्तर्गत अवाप्त शुदा भूमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये गये थे जिसकी पालना में जब पटवारी मौके पर नाप करने गया एवं मौके पर उपस्थित लोगों को यदि भ्रम हुआ तो उसे लोगों के भ्रम को दूर करना चाहिए था, फिर भी यदि लोग संतुष्ट नहीं होते तो उसे भू.अ.निरीक्षक अथवा तत्कालीन तहसीलदार या उपखण्ड अधिकारी को अवगत कराना चाहिए था, किन्तु पटवारी ने ऐसा न कर, विवाद पैदा कर दिया तथा अपीलार्थी द्वारा निरीक्षणों की पालना समय पर नहीं करने के लिए अकाल राहत कार्यो को बहाना मात्र बताया है जो उचित नहीं हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाही करने के फलस्वरूप जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा सीसीए 17 के तहत कार्यवाही की जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध उनके आदेश दिनांक 2–11–2007 द्वारा एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन की पालना नहीं किये जाने से जिला कलक्टर भीलवाड़ा द्वारा दिया गया दण्डादेश नियमानुसार सही है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलान्ट द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, नोटशीट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उनके आदेश क्रमांक भू.अ./विजा/प्र.स/1/07 दिनांक 02–11–2007 द्वारा श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला कलक्टर भीलवाड़ा के विरूद्ध आदेश पारित कर अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से (Without Cumulative Effect) रोकने के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर का ठीक प्रकार से अवलोकन नहीं किया। अपीलार्थी द्वारा अपने प्रतिउत्तर में स्पष्ट उल्लेख किया है कि जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा एवं तहसीलदार माण्डल के आदेशों की पालना में मौके पर जाकर नापकर एन.एच.–79 का राजस्व नक्शें में इन्द्राज करने हेतु गया था। मैंने शिकायतकर्ता श्री लक्ष्मण सिंह, गणपत सिंह पिता रामचन्द्र दरोगा निवासी गुढ़ा की आराजी खसरा नम्बर 573 व 578 का कोई

सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं करवाई है। शिकायतकर्ता को उक्त आराजी एन.एच.–79 के पास स्थित होने से भ्रम हुआ है क्योंकि मैनें एन.एच.–79 में अवाप्त भूमि को नापकर नक्शे में इन्द्राज करने हेतु मौके पर नाप की थी। शिकायतकर्ता की आराजी खसरा नम्बर 573 व 578 का कोई सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी नहीं करवाई गई है। साथ ही जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा उक्त प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाकर केवल तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रेषित रिपोर्ट को आधार मानकर दण्डादेश पारित किया है। जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपीलार्थी के विरूद्ध पारित द्वितीय आरोप में निरीक्षणों की पालना नहीं करने का उल्लेख किया है जिसके प्रतिउत्तर में अपचारी कर्मचारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि अकाल राहत कार्यो में व्यस्त रहने एवं राजकीय सेवा में नवीन नियुक्ति होने के कारण निरीक्षणों की पालना नहीं की गई थी। जिला कलक्टर भीलवाड़ा में आरोप में यह कहीं अंकित नहीं किया कि निरीक्षण में ऐसा कौनसा आक्षेप था जिसकी पालना किया जाना आवश्यक था जिससे राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि हो रही हो। आरोपों में ऐसा कोई गम्भीर आरोप नहीं है जिससे किसी व्यक्ति विशेष को एवं राज्य सरकार को कोई हानि हुई हो। श्री मदन लाल बलाई तत्कालीन पटवारी हलका संतोकपुरा तहसील माण्डल हाल भू–अभिलेख निरीक्षक, सांगानेर जिला भीलवाड़ा द्वारा विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर भीलवाड़ा में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत जवाब एवं व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों से मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचा हूं कि अपचारी कर्मचारी पर लगाये गये दोनों आरोप गम्भीर आरोप नहीं है। जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने अपचारी कर्मचारी के प्रतिउत्तर को नजरअन्दाज कर केवल तहसीलदार, माण्डल की जांच रिपोर्ट दिनांक 13–7–2007 को आधार मानकर दण्डादेश दण्डादेश दिनांक 02–11–2007 पारित किया है जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा जिला कलक्टर, भीलवाड़ा का आदेश क्रमांक भू.अ./विजा/प्र.स./1/07 दिनांक 02–11–2007 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को भी दी जावे।

(हनुमान सहाय मीना),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर